सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00013

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 13/2018

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. कंवलजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति अरोडा नि0 6–ए–15 सुखाडियानगर, श्रीगंगानगर
2. अंजलीन कौर पत्नी कंवलजीत सिंह जाति अरोडा नि0 6–ए–15 सुखाडियानगर, श्रीगंगानगर मै0 केशरसिंह फूड मार्ट प्रा. लिमिटेड 2ए/2 सुखाडियानगर श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 26.02.2018

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.01.2017 को दोपहर 01.00 पी.एम.पर फर्म मै0 केशरसिंह फूड मार्ट प्रा. लिमिटेड 2ए/2 सुखाडियानगर श्रीगंगानगर पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म मालिक कंवलजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति अरोडा नि0 6–ए–15 सुखाडियानगर, श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** आदि विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की ,दुकान में रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** 12X1 लीटर प्लास्टिक पैक्ड बोतलो में से जांच हेतु 4X1 लीटर प्लास्टिक पैक्ड बोतलें **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** खरीदा **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** की कीमत 380/–रू अदा किये एवं रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक पैक्ड बोतलों को दिखाया, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** को चारो नमूना प्लास्टिक पैक्ड बोतलो में बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक नमूना बोतलो पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना बोतलों को कोर्क से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–746 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता कंवलजीत सिंह ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः एलएस/115/एक्ट/2017/181 दिनांक 13.02.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–746 **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi) अमानक स्तर (Substandard Food & Misbranded Food)** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त नं. कंवलजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति अरोडा नि0 ए–15 सुखाडियानगर, श्रीगंगानगर मद्वारा अमानक स्तर **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)**का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 25.01.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **(Substandard Food & Misbranded Food)** पाया गया **है**। भविष्य में इस प्रकार की सामग्री का विक्रय नहीं बेचूंगा। अतः लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर इस प्रकरण को समाप्त करने की कृप्या करें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** का सैम्पल के–746 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/115/एक्ट/ 2017/181 दिनांक 13.02.2017 द्वारा **(Substandard Food & Misbranded Food)** होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 02– **(Substandard Food & Misbranded Food)** =2-31 प्रतिशत पाया गया जबकि Not Mor than 0-5 % होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 व 52 के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **(Substandard Food & Misbranded Food)** पाया गया **है।** भविष्य में इस प्रकार की सामग्री का विक्रय नहीं बेचूंगा। अतः लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर इस प्रकरण को समाप्त करने की कृप्या करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)**" bearing Code No. and Sr. No. K-746 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **(Substandard Food)** Under Section 3[1][zx] of FSS Act , 2006 due to presence of Added colouring matter and **(Misbranded Food)** Under Section3[1][zf][c][i] of FSS Act , 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2[5](ii)and 2.2.2[10] of FSS [Packaging and Labelling] Regulation 2011. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 4,000–00 (अखरे चार पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Ready to Serve Drink (Alo Frut Kiwi)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर